न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 48/2018

अनवान :

1. दलवीर
2. मोहनलाल

} पिसरान अमीलाल जाति कुम्हार निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान

– प्रार्थीगण

बनाम

1. अमीलाल पुत्र शेराराम जाति कुम्हार निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
2. उप पंजीयक छानीबडी तहसील भादरा।
3. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा अजीतपुरा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधि.1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद सिंगाठिया : प्रार्थीगण

वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : अप्रार्थी सं0 1

निर्णय **दिनांक :** 25-06-2019

संक्षेप में दरख्वास्त के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि गांव अजीतपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 77 के मुताबिक खाता सं0 16/402 के खसरा सं0 560 की 4.173 है बारानी व खसरा सं0 569 की 5.843 है0 बारानी कृषि भूमि कुल क्षेत्रफल 10.016 है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसी प्रकार ग्राम शिवदानपुरा में सम्वत् 2072 से 75 के मुताबिक जमाबन्दी खाता सं0 78/79 के खसरा सं0 79 की 1.3030 है0 बारानी तथा खसरा सं0 83 की 1.2020 है0 कुल क्षेत्रफल 2.5050 है0 प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल के नाम 1/3 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त सम्पति दादालाई कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का हक व हिस्सा है।

उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज शेराराम के नाम से हुआ करती थी जमाबन्दी अजीतपुरा जिला श्री गंगानगर के मुताबिक खाता सं0 69/63 के खसरा सं0 560 की 23 बीघा 2 बिस्वा बारानी कृषि भूमि प्रार्थीगण के दादा शेराराम की मृत्यु के उपरांत प्रार्थीगण की दादी किशनीदेवी बेवा शेराराम व भीखाराम, अमीलाल, फूलसिंह के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा इन्काल नं0 905 दिनांक 21.10.1995 के मुताबिक किशनीदेवी की मृत्यु के उपरांत उक्त इन्तकाल से उक्त भूमि भीखराम, अमीलाल, फूलसिंह के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई इसी प्रकार ग्राम शिवदानपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2.52 से 55 खाता सं0 108/107 खसरा सं0 79 की 5 बीघा 3 बिस्वा व खसरा सं0 83 की 4 बीघा 15 बिस्वा कुल 9 बीघा 18 बिस्वा बारानी कृषि भूमि शेराराम वल्द मुकनाराम के

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिनका विरासतन इंतकाल दिनांक 06.04.1999 को शेराराम के सभी वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ।

प्रार्थीगण के पिता अमीलाल की दो शादियां हुई थी अमीलाल की पूर्व पत्नी बिमला देवी के तीन संतान उत्पन्न हुई जो प्रार्थीगण दलवीर व मोहनलाल व कलावती है। बिमला देवी के फौत होने पर अमीलाल की दूसरी शादी केलापती से हुई। केलापती से दो संतान मुरारीलाल व खजानी उत्पन्न हुये। प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल काफी चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति है और मुरारीलाल के कहने सुनने में हैं। प्रतिवादी सं0 1 ने मुरारीलाल के दबाव प्रभाव में होने के कारण अजीतपुरा गांव की सम्पूर्ण भूमि आरएमजीबी बैंक शाखा अजीतपुरा से रहन रखकर केसीसी जारी करवाई और सम्पूर्ण केसीसी राशि मुरारीलाल ने अपने उपयोग व उपभोग में ले ली प्रार्थीगण ने उक्त केसीसी बाबत अपने हिस्से की मांग की तो कहा कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तब दे देगें। परन्तु प्रतिवादी सं 1 के मुरारीलाल के दबाव प्रभाव व बहकावे में होने के कारण उक्त केसीसी की राशि बैंक में जमा करने तथा अपने हिस्से की राशि देने से आनाकानी कर रहे है।

शेराराम के सभी वारिसान ने दोनों गांवों के चारो खसरों की भूमि को आपसी रजामंदी व भाईचारे से अलग अलग बांटकर काश्त कर रखी है जिसमें प्रार्थीगण के हिस्सा में ग्राम अजीतपुरा के खाता सं0 16/402 के खसरा नं0 560 की 4.173 है0 बारानी में से पश्चिमी दिशा में 1/2 हिस्सा काश्त कर रखी है जो हमेशा से काश्त करते चले आ रहे है जिसका आसा–पासा पूर्व में भीखाराम के वारिसान उतर में भूराराम कुम्हार, दक्षिण में सुभाष व गुगन, पश्चिम में गोविन्द नाई मुताबिक राजीनामा व रजामंदी प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि को सदामत से काश्त करते आ रहे है।

दरख्वास्त पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब दरख्वास्त पेश कर जाहिर किया कि वाद भूमि के विवरण से कोई इन्कारी नहीं है परन्तु वाद भूमि दादालाई व पुस्तैनी कृषि भूमि नहीं है। अप्रार्थी अमीलाल ने वादीगण/सायलान की व अपनी बेटियों की शादी छुछक, भात आदि किये है जिनका कर्जा आज भी अप्रार्थी के उपर भार है अप्रार्थी ने आज से करीब 20 वर्ष पूर्व दलवीर, मोहनलाल व कलावती की शादी की थी, उस समय अप्रार्थी के दो तीन लाख रूपये कर्ज हो गया था। उतरदाता अप्रार्थी किसी के दबाव में नहीं है। उतरदाता अप्रार्थी अपने 1/3 हिस्से का खुद खातेदार काश्तकार है। उतरदाता अप्रार्थी विवादित कृषि भूमि को रहन, बैय नहीं कर रहा है। उतरदाता अप्रार्थी पर कर्जे का बोझ है उसने अपने हिस्से की भूमि पर किसान केडिट कार्ड बना रखा है।

वाद भूमि का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, न ही प्रार्थीगण खसरा नं0 560 की 4.173 है0 भूमि के पश्चिम दिशा की भूमि पर काश्त नहीं करते है। खसरा नं0 560 की आधी भूमि उतरदाता अप्रार्थी स्वंय काश्त करता है। प्रार्थीगण ने जबरदस्ती 30–40 हरे पेड़ काटकर बेच दिये तथा अब ये लोग ताकत व बल के आधार पर जबरदस्ती खसरा सं0 560 की आधे भाग की कृषि भूमि जो अप्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि है जिसमें 20–25 हरे पेड़ खड़े है जिनको ये लोग ताकत व जबरदस्ती काटने पर उतारू है। प्रार्थीगण वाद भूमि के न तो खातेदार काश्तकार है

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

न ही वाद भूमि में इनका हक–हिस्सा है ये लोग जबरदस्ती ताकत व बल के आधार पर हरे पेड़ काटने पर उतारू है। ये लोग जबरदस्ती उतरदाता अप्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भूमि से बेदखल करना चाहते है।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि वादी भूमि भीखाराम अमीलाल फुलसिंह पि0 शेराराम के नाम जमाबन्दी में दर्ज है। वाद भूमि अप्रार्थी सं. 1 को अपने पिता व प्रार्थीगण के दादा शेराराम वल्द मुकनाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। प्रार्थी अमीलाल का का पुत्र है। अमीलाल की दो शादियां हुई पहली शादी बिमला से जिसके नुत्फे से दलबीर, मोहनलाल हुऐ पहली पत्नि बिमला की मृत्युपरान्त दूसरी शादी कलावती से हुई जिसके नुत्फे से मुरारीलाल व खजानी दो संताने हुई। पिता की दूसरी शादी के बाद दोनों वादियों को अलग अलग कर दिया और अप्रार्थी सं0 1 ने भूमि को रहन कर दिया दादालाई पैत्रक भूमि का प्रमाण पेश, मेरा दादालाई का हिस्सा रहन ना रखे ना उसका 1/6 हिस्सा प्रतिवादी/अप्रार्थी सं0 1 बेचे। वाद भूमि पिता के नाम दर्ज है पिता को दादा से प्राप्त हुई है, इसलिए दादालाई जमीन में मेरा भी हिस्सा है प्रतिवादी/अप्रार्थी सं0 1 अपने हिस्से की 1/6 हिस्सा भूमि बेच सकता है, लेकिन सहखातेदार होने के नाते सम्पूर्ण भूमि को रहन नहीं कर सकता है।

वकील अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी बहस में जाहिर किया कि खसरा सं0 का प्रार्थी ना तो रिकार्डेड खातेदार है ना उसका जमाबन्दी में नाम दर्ज है। राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत बिना काश्तकार भूमि पर कब्जे की टीआई नहीं मांग सकता है। पूरी जमीन पर टीआई नहीं कब्जे व मालियत का कोई प्रमाण नहीं। खातेदार अपनी जमीन पर कुछ भी लोन ले सकता है। सैक्शन 11 में कोई सह कास्तकार भी हिस्सा बेचने से मना नहीं कर सकते। वादी द्वारा पिता से अलग होने का कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। भाईयों को भी टीआई में पार्टी बनाना जरूरी है। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत दरख्वास्त प्रार्थी ने ग्राम अजीतपुरा की अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपनी दरख्वास्त व बहस में वाद भूमि प्रार्थीगण के दादा शेराराम की मृत्यु के उपरांत प्रार्थीगण की दादी किशनीदेवी बेवा शेराराम व प्रार्थीगण के चाचा/पिता भीखाराम, अमीलाल, फूलसिंह के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना तथा किशनीदेवी की मृत्यु के उपरांत वाद भूमि भीखराम, अमीलाल, फूलसिंह के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना व वाद भूमि दादालाई होना अंकित किया है वहीं अप्रार्थी सं0 1 ने अपने जबाब दरख्वास्त व बहस में वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी भूमि नहीं होना अंकित है, किन्तु चित्रप्रति जमाबन्दी खतौनी ग्राम शिवदानपुरा सम्वत् 2052 से 55 के अवलोकन से स्पष्ट है वाद भूमि प्रार्थीगण के दादा शेराराम वल्द मुकनाराम के नाम दर्ज थी जिससे प्रार्थना में अंकित प्रार्थीगण के कथनों की पुष्टि होती है। अप्रार्थी सं0 1 वाद भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं है। किन्तु अप्रार्थी सं0 1 को वाद कृषि भूमि अपने पिता से प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे(12)2005 मेहरचन्द बनाम ओमप्रकाश

25.6.19
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

पेज सं0 405 से 408 व आरबीजे (12) 2005 प्रभुदयाल बनाम प्रदीप पेज सं0 512 से 514 हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उनके (प्रार्थीगण) की हद तक प्रथम दृष्टया साबित है।

अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषयवस्तु को अधिकारों के संबंध में निर्णय किये बिना, दावे के निर्णय तक वर्तमान स्थिति में सुरक्षित रखना है तथा विवादित भूमि पर आगे होने वाली किसी सम्भावित क्षति को रोकना है जिससे विवाद और नहीं बढ़ें। यदि अप्रार्थी सं0 1 भूमि को रहन, बैय व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल करने में कामयाब हो जाता है तो अनावश्यक वाद बढ़ेगे व प्रार्थीगण को असुविधा होगी तथा ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा जारी की जाती है कि वह गांव अजीतपुरा के खाता सं0 16/402 के खसरा सं0 560 की 4.1730 है बारानी व खसरा सं0 569 की 5.8430 है0 बारानी कृषि भूमि कुल क्षेत्रफल 10.0160 है0 में प्रतिवादी/अप्रार्थी सं0 1 के नाम संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व इसी प्रकार ग्राम शिवदानपुरा के खाता सं0 78/79 के खस रा सं0 79 की 1.3030 है0 बारानी तथा खसरा सं0 83 की 1.2020 है0 कुल क्षेत्रफल 2.5050 है0 प्रतिवादी/अप्रार्थी सं0 1 अमीलाल के नाम 1/3 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रार्थीगण की कृषि भूमि की हद तक रहन बैय या दिगर तरीके से मुन्तकिल नहीं करे। रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाऐ रखे।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2012 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.6.12

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़